

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012020-215175
CG-DL-W-06012020-215175

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 51] नई दिल्ली, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2019, शनिवार/ पौष 1—पौष 7, 1941
No. 51] NEW DELHI, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2019, SATURDAY/ PAUSHA 1—PAUSHA 7, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.366.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (योद्धक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011 को जहां तक उनका संबंध सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय

के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) योद्धक परा चिकित्सीय पद भर्ती नियम, 2019 है ।
(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. भर्ती की पद्धति, आयु — सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु— सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो कि पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. निरर्हता .— वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शारीरिक मानदंड — केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती मैनुअल, 1975 के भाग— चार के अनुसार —

(क)	ऊँचाई	:	पुरुषों के लिए — 170 से.मी. महिलाओं के लिए— 157 से.मी.
(ख)	सीना	:	बिना फुलाए पुरुषों के लिए -- 80 से.मी. और फुलाने पर — न्यूनतम फुलाव 5 से.मी. महिलाओं के लिए — लागू नहीं
(ग)	वजन	:	पुरुषों और महिलाओं के लिए : चिकित्सा मानदंडों के अनुसार ऊँचाई व आयु के अनुपात में ।
(घ)	दृष्टि	:	दोनों आंखों की दृष्टि बिना सुधार के अर्थात् बिना चश्मे के न्यूनतम 6/6 तथा 6/9 होनी चाहिए ।

(ड) अभ्यर्थी को सहज जातु, चपटे पैर, फूली हुई नसों या तिर्यक आंख वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए ।

(च) शिथिलीकरण : अनुसूचित जन जातियों तथा पहाड़ के लोगों को ऊँचाई और सीना में निम्नलिखित प्रकार से शिथिलता देय होगी :-

- (i) ऊँचाई : गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 सेमी. होगी ।

महिला के लिए न्यूनतम ऊँचाई 155 सेमी होगी तथा अनुसूचित जन जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 से.मी. तथा महिलाओं के लिए 150 से.मी. होगी ।

(ii) सीना : अनुसूचित जन जातियों और पहाड़ के लोगों के लिए सीने में शिथिलता लागू होगी । कार्मिकों के इस प्रवर्ग के लिए न्यूनतम सीना निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पैरा में विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुरुष : 78— 83 से.मी.

(ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातियों : 76—81 से.मी

शारीरिक दक्षता परीक्षण —

(क) दौड़

(i) पुरुषों के लिए : 7.5 मिनट में 1 मील

(ii) महिलाओं के लिए : 6 मिनट में 800 मीटर

(ख) लम्बी कूद

(i) पुरुषों के लिए : 10 फीट

(ii) महिलाओं के लिए : 6 फीट

(ग) ऊँची कूद

(i) पुरुषों के लिए : 3 फीट

(ii) महिलाओं के लिए : 2.5 फीट

6. प्रोन्नति के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.— इस अनुसूची में सम्मिलित किसी भी श्रेणी या रैंक या पद में एक पद से दूसरे पद में योद्धक स्टाफ की प्रोन्नति के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा यथाविहित शेष —1 चिकित्सा प्रवर्ग के अनुरूप होने की आवश्यकता होगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति —. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ)	637 *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 05 (29200 — 92300 ₹0)	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

(6)

20 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की

गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : — भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भेषज में दो वर्ष का डिप्लोमा ; और (iii) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रकृत होंगे।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) 97 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500—81,100 रु०) में ऐसे हैडकांस्टेबल (पैरामेडिक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) उप महानिरीक्षक(चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष ; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य ; (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य ; 2 समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) उप महानिरीक्षक(चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —	लागू नहीं होता ।